

BSES

चोरी की बिजली पूरी बस्ती में सप्लाई करने वाला सलाखों के पीछे

- 552 किलोवॉट की बिजली चोरी कर रहा था, 95 लाख का जुर्माना
- बस्ती वालों से हर माह वसूलता था पैसे
- गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम के साथ हाथापाई

नई दिल्ली, 30 नवंबर, 2007। इस बार एक ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजा गया है, जो एक-दो घरों को नहीं, बल्कि पूरी बस्ती को अवैध तरीके से, चोरी की बिजली सप्लाई कर रहा था। वह बीएसईएस के लोटेंशन एमपी बॉक्स से 552 किलोवॉट बिजली की चोरी कर, उसे कुल 229 घरों को सप्लाई कर रहा था। वह बस्ती वालों से हर माह बिल के तौर पर पैसे भी वसूलता था। वेलकम इलाके में स्थित जनता मजदूर कॉलोनी को अवैध तरीके से चोरी की बिजली सप्लाई करने वाले मुन्ना भाई बत्ती वाला पर बीएसईएस ने करीब 95 लाख रुपये का जुर्माना किया था।

मुन्ना भाई के यहां बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम का छापा पड़ा, जिसमें उसे भारी पैमाने पर चोरी की बिजली, पूरी बस्ती में सप्लाई करते हुए पकड़ा गया। सबूतों की कोई कमी न, इसके लिए एन्फोर्समेंट टीम ने छापेमारी के दौरान फोटोग्राफी भी की।

छापेमारी के बाद बीएसईएस ने बिजली कानून के हिसाब से मुन्ना भाई पर करीब 95 लाख रुपये का जुर्माना किया, जिसका उसने तय समयसीमा के अंदर मुगतान नहीं किया। इसके बाद कंपनी ने वेलकम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस टीम जब मुन्ना भाई को गिरफ्तार करने गई, तो पुलिसकर्मियों के साथ उसने और उसके परिवार वालों ने हाथापाई भी की।

लेकिन तमाम विरोध के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुन्ना भाई को स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से जज ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: मशान्त दुआ¹
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस— 39999870/ 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस— 39999088/ 9350130304